

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत

U.S.(Trans)

28/3/11

1. आवेदक का नाम लोकेश कुमार द्विवेदी - उत्तराखण्ड
2. पूरा पता/ई-मेल/फ़ोन जिस पर जानकारी प्रेषित किया जाता है...कुमारगंगा, ऊपरी सिंहल के पास, बीड़ा, उत्तराखण्ड, लोकेश कुमार द्विवेदी, फ़ोन नं. 9849900000, 9.0
3. वृत्तावधि रुपांतर₹1,000/-
4. आवेदन के वार्षिक12-3-12
5. आवासप का नाम क्लैक रजिस्ट्रेशन, लोकेश कुमार द्विवेदी
6. जारी गई जानकारी का विवरण (१) भव्यता - चमराडोल 765 KVA पारेण्ट लाइन के पश्चिम निर्माण में आवेदन के आवेदन को बाले क्षेत्रों के गांव परे १५ अगस्त २०११ नम्बर १०८ के सत्यपुरी।

(२) स्थिति - चमराडोल 765 KVA पारेण्ट लाइन के स्वीकृत मानचित्र की सत्यपुरी।

(३) उन्नत पारेण्ट लाइन में ५ वार्षिक क्षेत्रों के मुआवजा वितरण की स्थिति की सत्यपुरी।

7. यह आहतों हैं प्रकल्प/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रभागित प्रति/प्रभागित नमूना
8. आवेदन के साथ यह किया जाने वाले ग्रोसेस पी-स्पष्टे 10/- नाम/स्टोच (बी.पी.एल. सूची के सरस्वत द्वारा देय नहीं)
9. यह आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं - हाँ/नहीं
यदि हाँ, तो बी.पी.एल. सूची का अनुकूलांक

27/3/11

ट्रॉफी :- यदि आवेदक धारा ३८ के आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पर रुपये ५ का स्टोच दर्शय करते हुए रजिस्टर्ड/दू.पी.सी./इकाल व्यव संस्था स्वयं का फता किया हुआ, विफलता साथ में संकेत करें। (बी.पी.एल. सूची के सरस्वत को छाक व्यव देय नहीं)

U.S.(Trans)
27/3/11

14.00HRS

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का विवाह
2. आवेदनकर्ता को प्रतिक्रिया जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अधिक जारीपाई के लिए उपर्युक्त होने का विवाह
3. संबंधित शास्त्र/अधिकारी जारी से जानकारी उपलब्ध होगी

प्राप्तकर्ता के इस्तमाल
(लोक सूचना अधिकारी/उपर्युक्त
लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्तिकर्ता)
परमाम (उपर सील)